(7)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–1469 / दस–2010
लखनऊ : दिनाँक : 06 अगस्त, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व / उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप कमशः संख्या–सा–3–1515 / दस–2008–308 / 97, दिनाँक 08–12–2008 के प्रस्तर–4(4) एवं संख्या–सा–3–1508 / दस–2008–308 / 97, दिनाँक 08–12–2008 के प्रस्तर–4(7) के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ पेशंनर्स / पारिवारिक पेशंनर्स को 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी जिस माह में उसकी जन्मतिथि होगी।

2– उक्त कार्यालय–ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2)–समस्त, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3)–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियॉ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियॉ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पॉच प्रतियॉ)

––2/–

संख्या–सा–3–1469(1)/दस–2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–	सचिवालय के समस्त अनुभाग।	प्रत्येक को एक प्रति
2–	सचिव, विधान सभा, परिषद,विधान भवन, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
3–	निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ	–5 प्रतियॉ–
4–	निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
5–	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
6–	सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचारार्थ।	–5 प्रतियॉ–
7–	मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद	–5 प्रतियॉ–
8–	मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।	–5 प्रतियॉ–
9–	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।	–5 प्रतियॉ–
10–	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
11–	इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
12–	मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
	नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, महानिरीक्षक, होमगार्डस, उ0प्र0 प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झॉसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।